परिशिष्ट-1 [13/2/2024]

प्रश्न सं. [क्र. 1283]

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई : डी-81, गोविन्दपुरी, सचिन तेन्दुलकर मार्ग, ग्वालियर (म. प्र.)-474011

National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)
Project Implementation Unit : D-81, Govindpuri, Sachin Tendulkar Marg, Gwalior (M.P.)-474011
फोन/Phone : 0751-2231485, ई-मेल/E-mail : gwalior@nhai.org; nhaigwalior@gmail.com

सत्यमेव जयते

BHARATMALA

भाराराप्रा/पकाई-ग्वालियर/विधानसभा/2024/12550 दिनांक 25.01.2024

प्रति,

श्री के.पी.एस. राना
मुख्य अभियंता
म.प्र. लोक निर्माण विभाग,
राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र, भोपाल।

विषय – नगर निगम मुरैना का टोल बूथ अन्यत्र स्थापित करने के संबंध में।

संदर्भ – तारांकित प्रश्न कमांक: 1283 – माननीय विधायक मुरैना, श्री दिनेश गुर्जर।

महोदय,

आपके कार्यालयीन ई-मेल दिनांक 24.01.2024 के माध्यम से प्रेषित संदर्भित माननीय विधायक मुरैना द्वारा तारांकित प्रश्न कमांक 1283 के संबंध में चाही गई जानकारी निम्नानुसार है-

(क) – राष्ट्रीय राजमार्ग-44 के आगरा-ग्वालियर खण्ड में फीस के उद्ग्रहण हेतु मुरैना जिले में छौंदा गांव में टोल प्लाजा राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के अनुसार स्थपित किया गया है। वर्तमान में उक्त टोल प्लाजा मुरैना नगर निगम में विस्तार के कारण नगर निगम सीमा के अंतर्गत आ गया है। इस संबंध में विदित हो कि टोल प्लाजा नगर निगम सीमा के अंतर्गत स्थापित नियम 2008 की धारा 8(1) के अनुसार किया जा सकता है।

उक्त संबंध में लेख है कि वर्तमान में छौंदा टोल प्लाजा पर फीस का उद्ग्रहण Fastag के माध्यम से किया जा रहा है ताकि सड़क यात्रियों के प्लाजा से निकलने हेतु सुगमता को सुनिश्चित किया जा सके। इसके अतिरिक्त टोल प्लाजा पर नियम, 2008 के अनुसार स्थानीय वाहनों हेतु मासिक पास एवं फीस में रियायत के प्रावधान हैं, ताकि मुरैना के स्थानीय वासियों को टोल प्लाज़ा से गुजरने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो।

(ख) एवं (ग) – छौंदा प्लाजा पर विदित हो कि फीस का उद्ग्रहण Fastag के माध्यम से किया जा रहा है एवं टोल प्लाजा पर WIM/SWB उपकरण भी स्थापित किये गये हैं ताकि टोल प्लाजा से ओवरलोड वाहनों पर नियम अनुसार फीस का संग्रहण किया जा सके।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

परियोजना निदेशक
भा.रा.रा.प्रा. पकाई-ग्वालियर

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
लोक निर्माण विभाग